



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 23071142885R Receipt Date 11-JUL-2023 14:09
S R Location JAIPUR-VII
Receipt No RJ1488901920744
Name Of Seller MANOJ SHARMA ADVOCATE
Name Of Buyer NA
Type of Document Others - Others-Search 2020-2023 4years
ACC Reference NONSH/CHETAN SHARMA/Jaipur

Paid Fees

Particulars

Registration Fees

Copy of Fees

Late Fees

Other Charges

Total Amount

Grand Total

(Rupees Two Hundred Ten Only)

Amount (Rs.)

₹ 0

₹ 0

₹ 0

₹ 0

₹ 200

₹ 210

Particulars

CSI

Record Inspection Fees

Commission Fees

Service Charges

Amount (Rs.)

₹ 0

200

₹ 0

₹ 10



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-VII

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 11-07-2023 2:16 PM

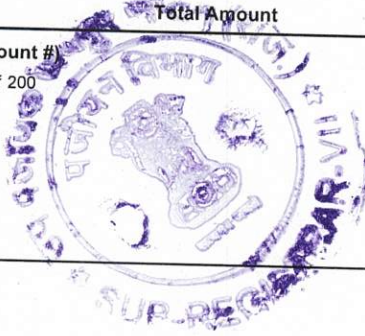
Fee Receipt No	: 202302021019402	Receipt Date	: 11/07/2023
Name	: MANOJ SHARMA ADVOCATE, BHAIRURAM	Document S. No.	: 202301021015740
Address	: KHASRA NO 1814/2308 CHANDRALOK RESIDENCY-II AT VILL SIRSI JAIPUR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 200
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 200
From Year 2020 To Year 2023		Total Amount	: ₹ 200

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1488901920744 ₹ 200

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

MANOJ SHARMA

ADVOCATE

ENROLMENT NO. R-1286/2008
PRACTISING LAWYER,
DEALING IN THE MATTERS
OF LAND FOR MORE THAN
23 YEARS

Cell 9413585705

OFFICE :-

Ground Floor
B-4/196,
Chitrakoot Scheme,
Ajmer Road, Jaipur

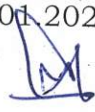
Date : 11.07.2023

Sir,

As per photocopies of documents/papers made available to me, I have carefully examined the same.

As reveal from the documents the land situated at Khasra No. 1814/2308 at Village Sirsi, Tehsil & District Jaipur, Rajasthan with total area admeasuring 2200 sq. mtr. is owned by Mr. Bhairuram son of Mr. Bhurya, R/o. Kunda Ke Pass, Kanak vrandavan pais 2 B Block, Sirsi, Jaipur, Rajasthan-302012.

1. First of all, present owner Mr. Bhairuram (Khatedar) son of Mr. Bhurya applied for regularization and conversion of measuring 0.22 Hector Khatedari land of above Khasra No. 1814/2308 at Village Sirsi, Tehsil & District Jaipur, Rajasthan under the provisions of sectorion 90-A of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in the concern office of Jaipur Development Authority, Jaipur and for the same above named Jaipur Development Authority, Jaipur has accepted in the matter of conversion and present owner Mr. Bhairuram (Khatedar) deposited entire demanded money in favor of Jaipur Development Authority, Jaipur and the same has convert by JDA in favor of present owner Mr. Bhairuram (Khatedar) through its 90-A letter No. LU2012/JDA/2019-20/100626 dated 26.11.2020.
2. After that, present owner Mr. Bhairuram (Khatedar) applied for approval of map of converted Scheme "**Chandralok Residency-II**" and the same has approved by the Jaipur Development Authority, Jaipur on dated 19.04.2023.
3. Copy of Mutation Letter on 27.01.2022 vide Order no. LR/22/303.


MANOJ SHARMA
ADVOCATE
RAJASTHA HIGH COURT
R/1286/2008

(2)

Conclusion/Observation, if any

As per the photocopy/ zerox of the original documents submitted by the party and details mentioned therein, I am of opinion that Mr. Bhairuram son of Mr. Bhurya is the absolute owner of the Convert scheme "**Chandralok Residency-II**" in Land Khasra No. 1814/2308 at Village Sirsi, Tehsil & District Jaipur, Rajasthan with total area admeasuring 2200 square meter and the said Land is clear, marketable and free from all encumbrance.

Issued under my signatures on this 11th day of July 2023 A.D.


Manoj Sharma
Advocate

MANOJ SHARMA
ADVOCATE
RAJASTHA HIGH COURT
R/1286/2008



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन-12)
राजस्थान सरकार

4598

दिनांक: 26/11/2020

क्रमांक: LU2012/JDA/2019-20/100626

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :
श्री BHERURAM पुत्र श्री BHURYA जाति AHIR निवासी NEAR KUNDA KANAK VRINDAVAN B BLOCK
VILL- SIRSI TEHSIL JAIPUR DISTRICT JAIPUR

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	BHERU S/O BHURYA	1814/2308	2200	0.22
				कुल	0.22

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 26-11-2020 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-12)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ग्राम सिरसी पटवार मण्डल सिरसी भू.अ नि.कृत जयपुर (पश्चिम) तहसील जयपुर जिला जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार न्याया आदेश प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक 2777 27/01/2022 सवत तथा टात बाछ की क्रम संख्या 2076-2079

रजिस्ट्रीकरण चार्ज संख्या एवं दिनांक 0 नामांतरकरण शुल्क 20 शास्ति 0

नहीं किए जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतीनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रतिस्थापित नवी प्रविष्टि					
खता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व जमान	विशेषीय सहित काश्तकार का नाम	खता संख्या	विशेषीय सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व जमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	1814/2308	0.2529	बाढी 1	6.00	1.1 बेरगम पुत्र भुरबा	421	1.1 बेरगम पुत्र भुरबा	2297/1814	0.1429	बाढी 1	3.39
		0.2150	जाब 1	2.12	हिम्मा- पूर्ण		हिम्मा- पूर्ण		0.1050	जाब 1	1.04
					जाति- जहीर(पादक) मा. देह खातेदार		जाति- जहीर(पादक) मा. देह खातेदार				
खता : 421	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.4679	कुल काश्तकार : 1			खता : 421	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.2479		
						845	1.1 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	2296/1814	0.2200	आवासीय प्रयोजनाय	
							हिम्मा- पूर्ण				
							सम्पदा के लिए				
							-बदस्तुर खसरा-				
खता : 845	कुल काश्तकार : 1					खता : 845	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 640	कुल क्षेत्रफल : 213.5456		

श्रीमान जी,

(क)पटवारी की रिपोर्ट

मुलाखत (90-प) ओडेर, जेरीट ओन-12 व तहसील ओडेर ड्राफ्ट/CR/22/303 दि. 20¹/₂₂ की पालना में जाना. डर्ज कर कमे निर्णय हेतु फेडा हो

हस्ताक्षर
पटवारी का नाम
दिनांक

(ख)भू.अ निरीक्षक की जाच रिपोर्ट

मिलान किया. अंकन की है

27/01/22 JPR-Jaypur (W)

हस्ताक्षर
भू.अ निरीक्षक का नाम
दिनांक

(ग)ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी का आदेश

खता : 421	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.4679	कुल काश्तकार : 1
-----------	--------------	------------------------	------------------

- नामांतरकरण -

3.2.22

खता : 421	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.2479
खता : 845	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 640	कुल क्षेत्रफल : 213.5456

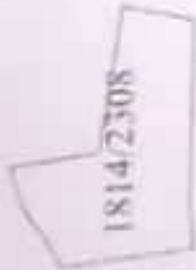
Put Up For Approval Details

Date 27/01/2022

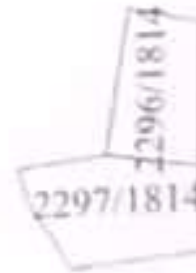
District : 09 जयपुर, Tehsil : 087 जयपुर, RI : 1660 जयपुर (पश्चिम), Halkas : 06606 सिरसी, Village : 25580 सिरसी

Unit:

Mutation No.	Mutation Date	User	Plot No.	Area	Mutated Plots	Area	type
	27/01/2022	jaipur	1814/2308	0.4679(ROR)	2297/1814 2296/1814	NA NA	



Scale 1 = 4000




पटवारी
प. व. सिरसी
तहसील जयपुर